राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1218/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, शाहजहांपुर, अलवर. .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स गुप्ता सोप एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज,
बहरोड, अलवर. .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद, **उप–राजकीय अभिभाषक।** .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री सी.एल.शर्मा, **अभिभाषक।** .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 02.11.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अलवर–II, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील संख्या 153/2005–06/आरएसटी/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.06.2005 पारित करते हुए कुटीर उद्योग साबुन के लिए कर मुक्ति प्रमाण पत्र को दिनांक 21.05.2003 से अस्वीकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए कुटीर उद्योग साबुन के लिए जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र का आलौच्य अवधि के लिए कर मुक्ति लाभ यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

4. राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.03.2010 का खण्डन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना F.(38)FD/Tax-Div/2000-44 दिनांक 22.05.2003 के तहत् खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों की सूची में से साबुन को हटाने के कारण व्यवहारी का कर मुक्ति प्रमाण पत्र का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.06.2005 पारित करते हुए प्रत्यर्थी को पूर्व में जारी कर मुक्ति प्रमाण–पत्र संख्या 166/40 को दिनांक 22.05.2003 से निरस्त करते हुए विधिक रूप से कर निर्धारण आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने

निरन्तर.....2.

राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.03.2010 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित बतलाते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना F.(38)FD/Tax-Div/2000-44 दिनांक 22.05.2003 के तहत् खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों की सूची में से साबुन को हटाने के कारण निर्धारण आदेश दिनांक 23.06.2005 पारित करते हुए प्रत्यर्थी को पूर्व में जारी कर मुक्ति प्रमाण—पत्र संख्या 166/40 को दिनांक 22.05.2003 से निरस्त कर दिया। इस संबंध में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी के आदेश को अपास्त कर विधिक निर्णय किया है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवसायी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.(11)FD/Gr.IV/95-54 दिनांक 27.03.1995 के तहत् वर्ष 2003—04 के लिए दिनांक 07.10.2003 को खादी एवं ग्रामोद्योग के तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी का वर्ष 2003—04 के लिए कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 166/40 का आदेश दिनांक 23.06.2005 को पारित किया था।

7. इसके पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.(38)FD/Tax-Div/2000-44 दिनांक 22.05.2003 का उल्लेख करते हुए व्यवसायी को जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 166/40 को दिनांक 22.05.2003 से निरस्त किया जाकर दिनांक 22.05.2003 से 31.03.2004 तक की बिक्री पर कर मुक्ति का लाभ समाप्त करते हुए नियमानुसार कर जमा कराने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी ने निरस्त करते हुए यह उल्लेख किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2003 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि "The unit already availing the benefits under the above superseded notification, shall continue to avail the benefits under this notification." इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.2005 में व्यवहारी को पूर्व में जारी कर मुक्ति प्रमाण—पत्र के संबंध में दी गयी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते हुए विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2005 अपास्त करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

8. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य